



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125041

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 9980 / 2026

अशोक कुमार पाण्डेय

.....आवेदक/याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : आनंद कुमार यादव, राहुल सक्सेना

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सक्षम श्रीवास्तव, शेखर गंगल, शासकीय अधिवक्ता,
रघुवेन्द्र सिंह

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल सक्सेना, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रघुवेन्द्र सिंह की ओर से ब्रीफ धारण किए हुए अधिवक्ता श्री रूपेश श्रीवास्तव, तथा राज्य-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री ओ.पी. सिंह को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे मुकदमा अपराध संख्या 321/25, थाना रोरावर, जनपद अलीगढ़ में पंजीकृत बी.एन.एस. की धारा 103(1), 61(2), 351(3) के अंतर्गत विचारण के लंबित रहने तक जमानत पर रिहा किया जाए।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि सह-अभियुक्ता पूजा शकुन पाण्डेय उर्फ अन्नपूर्णा भारती को इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिनांक 13.04.2026 के आदेश, जो आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 9959/2026 में पारित हुआ है, के अंतर्गत पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह भी निवेदन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार ही आवेदक तथा सह-अभियुक्ता पूजा शकुन पाण्डेय उर्फ अन्नपूर्णा भारती को आपराधिक षड्यंत्र रचने की भूमिका सौंपी गई है, जबकि, मुख्य आरोप मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध लगाया गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि विवेचना के दौरान आवेदक के संदिग्ध व्यक्ति फैज़ल नामक व्यक्ति के साथ काल डिटेल रिकॉर्ड से यह प्रकट हुआ है कि दिनांक 04.08.2025 से 14.09.2025 के मध्य 27 कॉल किए गए। यह भी निवेदन किया गया है कि इसके अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। काल डिटेल रिकॉर्ड के अनुसार सह-अभियुक्ता पूजा शकुन पाण्डेय उर्फ अन्नपूर्णा भारती द्वारा उक्त व्यक्ति के साथ उक्त अवधि के दौरान 11 कॉल किए जाने की बात प्रकट हुई है। आवेदक दिनांक 28.09.2025 से जेल में निरुद्ध है तथा आवेदक का आपराधिक इतिहास है जिसे स्पष्ट किया गया है, वह यह वचन देता है कि यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बताया गया है कि न्यायालय में मुकदमों की अत्यधिक लंबितता को देखते हुए विचारण के शीघ्र निष्कर्ष निकलने की कोई संभावना नहीं है।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया गया है तथा यह निवेदन किया गया है कि आवेदक को आपराधिक षड्यंत्र की भूमिका सौंपी गई है।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार ही आवेदक तथा सह-अभियुक्ता पूजा शकुन पाण्डेय उर्फ अन्नपूर्णा भारती को आपराधिक षड्यंत्र रचने की भूमिका सौंपी गई है, इसके अतिरिक्त आवेदक तथा संदिग्ध अभियुक्तगण फैज़ल नामक व्यक्ति के मध्य काल डिटेल रिकॉर्ड के अनुसार आवेदक द्वारा उक्त व्यक्ति को दिनांक 04.08.2025 से 14.09.2025 के मध्य 27 कॉल किया जाना कहा गया है, सह-अभियुक्ता पूजा शकुन पाण्डेय उर्फ अन्नपूर्णा भारती द्वारा उक्त अवधि के दौरान उक्त व्यक्ति को 11 कॉल किए गए। पूजा शकुन पाण्डेय उर्फ अन्नपूर्णा भारती को इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिनांक 13.04.2026 के आदेश, जो आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 9959/2026 में पारित हुआ है, के अंतर्गत पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है।

6. तथ्यों की समग्रता, मामले की प्रकृति तथा अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य पर विचार करते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत हेतु उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. आवेदक- **अशोक कुमार पाण्डेय** को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 1,00,000/- रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभुओं के प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए :-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य प्रकट करने से विरत करने हेतु कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा और न ही साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) विचारण के प्रारम्भ, (ii) आरोप विरचित किए जाने तथा (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान अंकित किए जाने की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक यह वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि जिन तिथियों पर साक्ष्य हेतु साक्षीगण विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, उन तिथियों पर वह कोई अनावश्यक स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर या तो स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के प्रयोजन तक सीमित है तथा इसे किसी भी प्रकार से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझा जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र होगा।



3 जून, 2026

इम्तियाज़

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।